## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)

Case No67/18 Sum.	Complaint or report madeon26-02-18
	(C) (A)
Name and address of the ComplainantPolice	station Malanpur
	80. 3
Name , parentage,casto	e and address of accused
/	76
दिनेश पुत्र बारेलाल कौरव उम्र 32 साल 🏸	9,0
निवासी डोलुआ का पुल, लश्कर ग्वालियर	- A
8	
A 6	^
10 15	
TTI	
I ne offence, complainant of, ar	nd date of, its alleged commission
2000 D vic 22 22 42 77 707	
	लगभग 13:30 बजे, स्थान रैन वैक्सी चौराहा, एटलस
	ाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0–07 एन0सी0–3689.
	आहत दिलावर को साधारण उपहति कारित हुई इस
	ो० की धारा 279, 337 के तहत दण्डनीय अपराध है
और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।	
<u> </u>	
क्या आपको उक्त अपराध	स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
(2	(A.K.Gupta)
	Judicial Magistrate First Class
	Gohad distt.Bhind (M.P.)
The plea of the accused a	nd his examination (if any)
जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।	
	(A.V. Courte)
	(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## / / निर्णय / /

## (आज दिनांक 09.05.18 को घोषित)

- 01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा०द०वि० की धारा 279, 337 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी दिनेश पुत्र बारेलाल कौरव को भा.द.वि. की धारा 279, 337 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादिबि० की धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अविध की सजा एवं रूपये 1000/— (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है।
- 03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को दस दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
- 04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0-07 एन0सी0-3689 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)